पत्र संख्या–सी0आर0को0–104 / 2019.....12074..... /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना–15, दिनांक– 2.9.19 /

विषय :– **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का SPARROW System के तहत पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय ज्ञापांक सं0–16389 दिनांक–14.12.18 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का SPARROW System के तहत पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रभाव से लागू किया जा चुका है साथ ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0– 8530 दिनांक–26.06.19 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) ई–फाईलिंग (PAR e-filing) के लिए प्रतिवेदित / प्रतिवेदक / समीक्षी / स्वीकरण पदाधिकारी का पुर्ननिर्धारण तथा ई–फाईलिंग हेतु समय–सीमा का निर्धारण भी किया जा चुका है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रशासनिक सेवा के कतिपय पदाधिकारियों द्वारा SPARROW System के तहत पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) हेतु NIC के वेबसाईट पर E-Mail Id सृजित न किये जाने एवं पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) हेतु आवश्यक Digital Signature Certificate (DSC) की उपलब्धता अद्यतन सभी पदाधिकारियों को न होने, जैसे तकनिकी समस्या के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 मात्र के लिए विभागीय पत्रांक –8828 दिनांक–03.07.19 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पी0ए0आर0 ई–फाईलिंग (PAR e-filing) हेतु पूर्व निर्धारित समय–सीमा को पुर्ननिर्धारण किया गया था। विभागीय स्तर पर विचारोपरांत उक्त पुर्ननिर्धारित समय–सीमा को निम्नरूपेण विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(i). विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारियों का Basic Data 15 सितम्बर 2019 तक प्रतिवेदित पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(ii). प्रतिवेदित पदाधिकारी अपना स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन (Self Appraisal Report) Online अभिलेखित कर 30 सितम्बर 2019 तक प्रतिवेदक पदाधिकारी को Forward कर देना सुनिश्चित करेगें।

(iii). प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा Forward पी0ए0आर0 अथवा विभाग द्वारा Force Forward किये गये पी0ए0आर0, 01 अक्टूबर 2019 तक संबंधित प्रतिवेदक पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रतिवेदक पदाधिकारी, प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अथवा Force Forward द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0ए0आर0 पर अपना मंतव्य अभिलेखित कर 31 अक्टूबर 2019 तक समीक्षी पदाधिकारी को Forward कर देना सुनिश्चित करेगें।

(iv). प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा Forward पी0ए0आर0 अथवा विभाग द्वारा Force Forward किये गये पी0ए0आर0, 01 नवम्बर 2019 तक संबंधित समीक्षी पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। समीक्षी पदाधिकारी, प्रतिवेदक पदाधिकारी से प्राप्त अथवा Force Forward द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0ए0आर0 पर अपना मंतव्य अभिलेखित कर 30 नवम्बर 2019 तक स्वीकरण पदाधिकारी को Forward कर देना सुनिश्चित करेगें।

(v). समीक्षी पदाधिकारी द्वारा Forward पी0ए0आर0 अथवा विभाग द्वारा Force Forward किये गये पी0ए0आर0, 01 दिसम्बर 2019 तक संबंधित स्वीकरण पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। स्वीकरण पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी से प्राप्त अथवा Force Forward द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0ए0आर0 पर अपना मंतव्य अभिलिखित कर 31 दिसम्बर 2019 तक PAR Custodian को Forward कर देना सुनिश्चित करेगें।

(vi). विभाग द्वारा सभी प्राप्त पी0ए0आर0 को 28 फरवरी 2020 तक संबंधित पदाधिकारी के NIC के द्वारा सृजित व्यक्तिगत E-Mail Id पर Disclose कर दिया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0– 8530 दिनांक–26.06.19 को वित्तीय वर्ष 2018–19 मात्र के लिए इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत संबंधित सभी पदाधिकारियों को इस आशय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

02.9.19

(राम शंकर)
सरकार के संयुक्त सचिव।